कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक 4240 / 14–1 दिनांक, मुजफ्फरनगर 10/4/2018 ।

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कार्पो0 लि0 मुजफ्फरनगर द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर –जानसठ लीलो भोपा (भौकरहेडी) लाईन के निर्माण हेतु 0.1944 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Trans./26409/2017 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–2561 / मु0नगर / 26409 / 2017 दिनांक 05.03.2018 एवं आपका पत्रांक –3197 / 14–10 दिनांक 09.03.2018 ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 09.03.2018 का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त पत्र के माध्यम से विषयक प्रस्ताव में पाई गयी त्रुटियों / कमियों को अवगत कराते हुए इनके निराकरण कर सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। आपके निर्देशानुसार कमियों / त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है।

| क्र0सं0 | लगाई गयी आपत्ति | अनुपालन |
|---|---|---|
| 1 | संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने का गजट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है। | संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने के गजट को प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। |
| 2 | प्रस्ताव के साथ प्रभावित वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल में रोपण व अनुरक्षण का प्रांक्कलन संलग्न किया गया है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.0 है0 से कम है। अतः प्रभावित वृक्षों के 10 गुने पौधों के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्रांक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करायें तथा तद्नुसार संशोधित प्रांक्कलन ऑनलाईन पार्ट–2 पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें। | प्रस्तावत में प्रभावित वृक्षों के 10 गुने अर्थात 120 पौधों के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्रांक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है एवं ऑन लाईन पार्ट–2 पर भी अपलोड कर दिया गया है। |
| 3 | वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र न संलग्न कर सत्यापित छाया प्रति संलग्न की गयी है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य नहीं की जाती। अतः मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें। | वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। |
| 4 | पृष्ठ–49 पर संलग्न डिजिटल मैप में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी आरक्षित वन भूमि अंकित है, जबकि ऑनलाईन पार्ट –2 पर प्रभावित समस्त वन भूमि की श्रेणी संरक्षित वन भूमि अंकित है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | पृष्ठ संख्या–49 पर संलग्न डिजिटल मैप में वन भूमि की श्रेणी त्रुटिवश आरक्षित वन भूमि अंकित हो गयी थी। अतः इसे संशोधित कर डिजिटल मैप पर संरक्षित वन भूमि अंकित कर संशोधित डिजिटल मैप प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। |

| | लगाई गयी आपत्ति | अनुपालन |
|---|---|---|
| 5 | प्रस्ताव के साथ संलग्न पॉवर ऑफ अटार्नी में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है। संशोधित पॉवर ऑफ अटार्नी ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रस्ताव में संलग्न पॉवर ऑफ अटार्नी में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर संशोधित पॉवर ऑफ अटार्नी ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है। |
| 6 | प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–14 पर संलग्न जस्टीफिकेशन नोट में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी आरक्षित वन भूमि अंकित है, जबकि ऑनलाईन पार्ट–2 पर प्रभावित समस्त भूमि की श्रेणी संरक्षित वन भूमि अंकित है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–14 पर संलग्न जस्टीफिकेशन नोट में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी त्रुटिवश आरक्षित वन भूमि अंकित हो गयी थी जिसे संशोधित कर संरक्षित वन भूमि अंकित कराकर संशोधित जस्टीफिकेशन नोट ऑनलाईन अपलोड कर इसे प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है। |
| 7 | प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–58 व 59 पर संलग्न अभिलेख पृष्ठ संख्या–22 व 23 पर संलग्न किये जा चुके है, इसे प्रस्ताव से पृथक कराने का कष्ट करें। | प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–58 व 59 प्रस्ताव से पृथक कर दिये गये है। |
| 8 | प्रस्ताव के पृष्ठ–54 पर प्रदर्शित क्रासिंग में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी आरक्षित वन भूमि अंकित है। जबकि ऑनलाईन पार्ट–2 पर प्रभावित समस्त भूमि की श्रेणी संरक्षित वन भूमि अंकित है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। | प्रस्ताव के पृष्ठ–54 पर प्रदर्शित क्रासिंग में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी त्रुटिवश आरक्षित वन भूमि अंकित हो गयी थी, जिसे संशोधित कराकर संरक्षित वन भूमि अंकित कराकर ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। |

अतः उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर विषयक प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– विषयक प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

भवदीय
12/4/18
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

**संख्या / दिनांकित।**

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन लि0 मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर